[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं०. 14/2018– केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 45 के उपनियम (1) में, अंत में आने वाले "जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा :

परंतु प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दशा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :

परंतु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :";

(ii) नियम 124 में,--

(क) उपनियम (4) के पहले परंतुक में, "परंतु यह कि कोई भी" शब्द के स्थान पर, "परंतु कोई" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) के पहले परंतुक में, "परंतु यह कि कोई भी" शब्द के स्थान पर, "परंतु कोई" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 125 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"125. **प्राधिकरण का सचिव**—अपर आयुक्त (रक्षोपाय महानिदेशालय में कार्यरत) की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी, प्राधिकरण का सचिव होगा ।";

(iv) नियम 127 के खंड (iv) के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ;

(v) नियम 129 के उपनियम (6) में, "स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) नियम 133 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।";

(viii) नियम 134 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**134. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना**—(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी ।

(2) यदि किसी बिंदु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न है तो उस बिंदु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।";

(vii) नियम 137 के पश्चात्, स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, उपखंड ख के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"ग. नियम 128 के उपनियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनपुट प्रत्यय कर का फायदा कीमत में अनुरूप कटौती द्वारा प्राप्तिकर्ता को नहीं दिया है ।";

(ix) नियम 138घ के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है ।"।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण--मूल नियम, सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 204 (अ), तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा उसमें अंतिम संशोधन किया गया ।